न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 06 सन 2022

अनवान :-

1. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. खेताराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
3. गुणनराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. जगदीश प्रसाद पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. पुष्पा पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राधा पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. लिछमादेवी उर्फ लक्ष्मी पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. शांति पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेशेकार राज

निर्णय दिनांक :- 02/02/2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 104/104 की कुल 6.3250है० व रोही मौजा मुकरका के खाता संख्या 251/260 की कुल 2.4280है० भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व मे वादी के दादा दुलाराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी वादी के दादा दुलाराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर बाद विरासतन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव मृतक रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज हुई है अर्थात दुलाराम के देहान्त होने पर विरासतन से दर्ज हुई है ।

रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रानीदेवी उर्फ रामीदेवी के नाम दर्ज भूमि को विरासतन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने है एव रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष मे किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त मे इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ,रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहैब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता दुलाराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादीगण एव

उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व माता रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज है वादीगण की माता रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नि दुलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों वादीगण के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 104/104 की कुल 6.3250हैक व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 251/260 की कुल 2.4280हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा दुलाराम पुत्र चुन्नीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा दुलाराम पुत्र चुन्नीराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एव मृतक रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज हुई है अर्थात दुलाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है ।

रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो रानीदेवी उर्फ रामीदेवी के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी की बहने है एवं रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 104/104 की कुल 6.3250हैक व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 251/260 की कुल 2.4280हैक भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता दुलाराम पत्नी चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन उनके पुत्र/पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं माता रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज हुई है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वर्तमान में रानीदेवी उर्फ वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता दुलाराम पत्नी चुन्नीराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन उनके पुत्र/पुत्रीया वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एवं माता रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम के नाम से दर्ज हुई है वर्तमान में रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 104/104 की कुल 6.3250हैक व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 251/260 की कुल 2.4280हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व मृतका रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को वहिव का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर ।
2. खेताराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
3. गुगनराम पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. जगदीश प्रसाद पुत्र दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. पुष्पा पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राधा पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. लिछमादेवी उर्फ लक्ष्मी पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
4. शांति पुत्री दुलाराम जाति माली निवासी नोहर तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 06 सन 2022 निर्णय दिनांक– 02/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके के खाता संख्या 104/104 की कुल 6.3250हैक व रोही मौजा भुकरका के खाता संख्या 251/260 की कुल 2.4280हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व मृतका रानीदेवी उर्फ रामीदेवी पत्नी दुलाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner